Journal
of the
Oriental Institute **ISSN: 0030-5324**
M.S. University of Baroda **UGC CARE Group 1**

1937 का चुनाव, मुस्लिम लीग व भारत का विभाजन

राजेश रांझा
एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास
पंडित चिरंजी लाल शर्मा राजकीय महाविद्यालय, करनाल

1937 ई के विधानसभा चुनाव का भारतीय इतिहास में बहुत अधिक प्रभाव रहा। ब्रिटिश सरकार के दिखावे के संवैधानिक सुधारों द्वारा पहली बार विधानसभा में बड़े दल के नेता को प्रांत का मुख्यमंत्री बनाए जाने की वकालत की गई और साथ ही संवैधानिक शक्तियों का अंतिम अधिकार प्रांत के गवर्नर को दे दिया गया। ब्रिटिश सरकार की दोहरी प्रशासनिक नीति का उद्देश्य केवल एक ही था कि भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी देकर उनका समर्थन प्राप्त करना व भारत में लंबे समय तक राज करना। समय के साथ-साथ अनेक अधिनियमों के माध्यम से भारतीयों की प्रशासन में भागीदारी बढ़ाई गई थी।1935 के अधिनियम के अंतर्गत भारत में राजनीतिक पार्टियों को महत्व दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार जो पार्टी प्रांतीय विधानसभा में बहुमत के साथ आएगी वह अपना मुख्यमंत्री एवं सरकार बनाएगी। ब्रिटिश सरकार के इस कदम से भारतीय राष्ट्रीयता को आघात पहुंचाने का कार्य किया। इस अधिनियम के बाद देश में अनेक राजनीतिक पार्टियों का गठन हुआ और उनमें अधिक से अधिक राज्यों में सरकार बनाने के लिए प्रतिद्वंता बढ़ने लगी।

मुस्लिम लीग ने अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए व सीटें बढ़ाने के लिए धार्मिक मुद्दों का प्रयोग शुरू कर दिया। इससे देश में सामाजिक व धार्मिक कटुता बढ़ने लगी। धीरे-धीरे यह सांप्रदायिकता इतनी बढ़ गई कि 1947 में देश का विभाजन हो गया। इस शोधपत्र में मेरा उद्देश्य ब्रिटिश सरकार की दोहरी प्रशासनिक नीति का विश्लेषण करना व यह देखना है कि चुनाव व्यवस्था के माध्यम से कैसे ब्रिटिश सरकार द्वारा देश में सांप्रदायिकता का जहर घोला गया और यह चुनाव भारत के विभाजन के लिए कहां तक जिम्मेदार रहा।

संवैधानिक सुधार अधिनियम

1857 के जन विद्रोह ने स्पष्ट कर दिया था कि भारत में अंग्रेजी राज्य पुराने ढंग से नहीं चल सकता। इस जन आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को यह एहसास दिला दिया कि यदि भारत पर लंबे समय तक शासन करना है तो भारतीयों में फूट डालनी अति आवश्यक है। इस नीति को महत्व देते हुए ब्रिटिश सरकार ने तीन कदम उठाए

01) इस जन- विद्रोह के लिए भारतीय मुसलमान को जिम्मेदार ठहराकर उनको प्रशासन से बाहर निकाला जाए।

02) भारतीय संवैधानिक प्रशासन में समय के साथ-साथ भारतीय लोगों की भागीदारी बढ़ाई जाए

03) राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने तथा साम्राज्यवादी नीति का विस्तार करने का एकमात्र माध्यम भारतीय प्रशासन में संवैधानिक सुधारो को अपनाते हुए अपनी सत्ता को बनाए रखा जाए।

पहले अधिनियम 1858 में लागू किया गया। इसमें कंपनी का शासन समाप्त करके ब्रिटेन की महारानी ने भारतीय शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। 1961 में भारत काउंसिल अधिनियम के अंतर्गत भारत में संवैधानिक और प्रशासनिक बदलाव की नींव रखी गई। वायसराय के परिषद में 6 मनोनीत गैर सरकारी सदस्य रखे गए। इन मनोनीत सदस्यों में कुछ भारतीय सदस्यों को भी शामिल किया जाना था जो भारत कानून निर्माण में सहयोग करें। लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में पटियाला के महाराजा, बनारस

के राजा और सर दिनकर राव को मनोनीत किया। 1882- 83 में स्थानीय स्वशासन अधिनियम के माध्यम से प्रांत के अंतर्गत प्रशासन में शहरी और ग्रामीण स्थानीय बोर्ड की स्थापना की गई। इससे भारतीयों की प्रशासन में भागीदारी बढ़कर उनको राजनीतिक शिक्षा देने की बात कही गई। 1892 की इंडियन काउंसिल एक्ट के अंतर्गत केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। इससे भारतीयों की प्रशासन में भागीदारी का विस्तार हुआ।

1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट जो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया। भारतीयों को पहली बार विधाय कार्यों में भाग लेने का अवसर दिया तथा प्रांतीय विधान परिषद में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रथा की शुरुआत हुई। यहां पर केवल जमीदारों और मुसलमान की सीटों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता था। अन्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। मताधिकार बहुत कम लोगों को प्राप्त था। यह भारतीयों में फूट डालने एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करने की एक चाल थी। 1919 के मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा भारत में पहली बार प्रांतीय स्तर पर दमन शासन लागू किया। प्रशासन कार्यों को आरक्षित गवर्नर के अधीन हस्तरित प्रांतीय मंत्रियों के दिन में बांटा गया। प्रांत में विधानसभा स्थापित की गई। इसके सदस्य निर्वाचित होते थे। मतदान का अधिकार सिर्फ 2.8 प्रतिशत लोगों को ही था। प्रति के प्रांत के गवर्नर को अधिकार था कि वह विधानसभा द्वारा पारित कानून को रद्द कर सकते हैं।

1935 का भारत सरकार अधिनियम

1935 का एक्ट एक विस्तार पूर्वक संविधान था जिसमें 451 धाराएं तथा 14 सचिया थी। इस एक्ट के द्वारा केंद्रीय विधान पालिका के दो सदनों की व्यवस्था और प्रांतीय स्वशासन की व्यवस्था की गई। कॉन्स्यूलेट के सदस्यों की संख्या 260 थी। उनके सदस्य 9 वर्ष के लिए चुने जाते थे। फेडरल लेजिसलेटिव असेंबली के सदस्यों की कुल संख्या 375 निश्चित हुई। असेंबली का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया। 1935 के एक्ट के द्वारा विषयों। का विभाजन तीन सूचियां के माध्यम से किया गया। केंद्रीय सूची जिसमें 59 विषय रखे गए। प्रांतीय सूची में 54 और साझी सूची में 36 विषय रखे गए थे। 1935 के एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार प्राप्त था। उनकी स्वीकृति के बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता। वह किसी भी कानून को रद्द कर सकता था।

प्रांतो में स्वशासन की स्थापना

1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्वराज या स्वशासन का आरंभ किया गया। प्रांतीय स्वशासन का अर्थ था कि प्रांत को अपने एक क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने का अधिकार होगा और अपने निश्चित क्षेत्र में वे केंद्रीय नियंत्रण अथवा बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र होने चाहिए। प्रांतीय कार्यपालिका में गवर्नर तथा मंत्री परिषद की व्यवस्था है। कार्यपालिका का अध्यक्ष गवर्नर होता है। सभी कार्यों का संचालक होता है। उसकी सहायता के लिए तथा परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई थी। 1935 की अधिनियम में छह प्रांतों में दो सदन बनाए गए थे।

पांच प्रांतों में एक सदन रखा गया। दो विधानमंडल में उच्च सदन का नाम विधान परिषद तथा निम्न सदन का नाम विधानसभा रखा गया। विधानसभा के सदस्यों की संख्या 1585 रखी गई। मतदान या मत प्रताप की योग्यता मुख्यतः संपत्ति एवं शिक्षा पर आश्रित की गई थी। विधानसभा में कुल 1585 स्थान, जिसका वितरण इस प्रकार किया गया।

ISSN: 0030-5324
UGC CARE Group 1

1. जनरल सीट - 657
2. मुसलमान - 482
3. शेड्यूल कास्ट - 151
4. वाणिज्य व्यापार - 56
5. महिलाएं - 41
6. मजदूर - 38
7. जमींदार - 37
8. सिख - 34
9. यूरोपीय - 26
10. पिछड़े क्षेत्र और कबीले - 24
11. भारतीय ईसाई - 20
12. एंग्लो इंडियन - 11
13. यूनिवर्सिटी - 8

लिंनलिथगो 1936 ईस्वी में भारत के वायसराय बने। उसने लिखा, "अधिनियम 1935 तो इसलिए पास किया गया क्योंकि हम समझते थे कि भारत पर अंग्रेजों का प्रभुत्व बरकरार रहने का सबसे बढ़िया तरीका यही है। भारतीयों के हितों में संविधान में संशोधन करना हमारी नीति नहीं थी और ना ही हम भारतीयों को सत्ता सोपने की जल्दबाजी में थे। हमारा तो प्रयास यही था कि जब तक संभव हो भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना रहे"।

नई पार्टियों का निर्माण

1935 ई के अधिनियम को लागू करते ही अनेक नई पार्टीया बननी आरंभ हुई। पंजाब में "यूनियनिस्ट पार्टी", संयुक्त प्रांत में "नेशनलिस्ट एग्रीकल्चर पार्टी", बंगाल में फजलुल हक ने "प्रजा कृषक पार्टी", मुंबई और मध्य प्रदेश में डॉ.अंबेडकर ने नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन के समर्थन से "इंडिपेंडेंट वर्कर्स पार्टी" की स्थापना की। उड़ीसा में "एडवांस पार्टी", मद्रास में "जस्टिस पार्टी" बहुत सक्रिय हो गई। इनमें से अधिकांश पार्टी के पीछे ब्रिटिश शासको का हाथ था।

प्रांतीय चुनाव

1935 के अधिनियम से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ही असंतुष्ट थे। कांग्रेस के लिए ये एक तरह से गुलामी का घोषणा पत्र था। इसमें बालिक मताधिकार के आधार पर संविधान सभा द्वारा नहीं बनाया गया था। साथ ही इसमें यह भी नहीं लिखा था कि वह भारत में अपने राज्य को कब खत्म करेगा। मुस्लिम लीग भी इसे अत्यंत प्रतिक्रियावादी मानती थी। लेकिन दोनों दलों ने एक्ट के अनुसार चुनाव लड़ने का निश्चय किया क्योंकि चुनाव अभियान उन्हें मतदाताओं के बीच अपने-अपने विचार के प्रसार करने का मंच प्रदान कर रहा था। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संविधान लागू होते ही ब्रिटिश सरकार ने 1937 के चुनाव की घोषणा कर दी। जिसके अंतर्गत विभिन्न पार्टियों ने अपने-अपने राज्यों में जो सीट मिली उनका विवरण

प्रांतीय विधानसभाओं के 1937 के चुनाव का परिणाम

ISSN: 0030-5324
UGC CARE Group 1

इस चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। उसने कल 1585 सीटों में 715 पर विजय प्राप्त की। 11 प्रांतो में से 6 प्रांतो, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रदेश बिहार, मुंबई, उड़ीसा, मद्रास में पूर्ण बहुमत मिला। इसके बाद पश्चिमोत्तर सीमांत प्रदेश में 8 अकांग्रेसी कांग्रेस के साथ कांग्रेस का सहयोग करने को तैयार हुए। यहां पर भी कांग्रेस ने बहुमत की सरकार बनाई। बाद में असम और सिंध में भी कांग्रेस की सरकारी बनी। बंगाल, असम और पश्चिमी सीमांत प्रांत में सबसे बड़ी पार्टी बनी। पंजाब और सिंध में कांग्रेस को कम वोट मिले। मुस्लिम चुनाव क्षेत्र में मुस्लिम आरक्षित सीट 482 में से कांग्रेस ने 58 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। जिन में से 26 पर विजय प्राप्त हुई। अनुसूचित जातियों की अधिकतर सीटों को कांग्रेस ने जीत लिया। मुंबई के अंबेडकर की इंडिपेंडेंस पार्टी ने हरिजन के लिए आरक्षित 15 सीटों में से 13 सीट जीती थी, मुस्लिम लीग ने मुसलमान के लिए आरक्षित कुल 482 सीटों में से सिर्फ 108 सीट जीती। सबसे ज्यादा सीट 128 निर्दलीय मुसलमान को मिली थी।

क्रमांक	प्रांत	कुल सीटें	कांग्रेस	मुस्लिम लीग	निर्दलीय मुस्लिम	अन्य
1	मद्रास	215	159	11	—	45
2	बंबई	175	88	20	10	57
3	बंगाल	250	50	40	43	117
4	संयुक्त प्रांत	228	134	27	30	37
5	पंजाब	175	18	1	—	156
6	बिहार	152	98	—	15	39
7	मध्य प्रदेश	112	71	—	14	27
8	असम	108	35	9	14	50
9	पश्चिमोत्तर प्रदेश	50	19	—	2	29
10	उड़ीसा	60	36	—	—	24
11	सिंध	60	7	—	—	53
	कुल	**1,585**	**715**	**108**	**128**	**634**

मुसलमान की एकमात्र प्रतिनिधि होने का दवा मुस्लिम लीग का असफल होता हुआ दिखाई दे रहा था। पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत में लीग एक भी सीट नहीं जीत सकी। पंजाब के 84 आरक्षित चुनाव क्षेत्र में से केवल दो और सिंध के 33 में से 3 स्थान पर ही जीत प्राप्त कर सकी। मद्रास में जस्टिस पार्टी का बोलबाला था और उसके सिर पर ब्रिटिश शासको का हाथ था। लेकिन चुनाव में उसकी स्थिति भी अच्छी नहीं रही। उसे कुल 215 सीटों में से 17 सीट मिली। संयुक्त प्रांत में नेशनल एग्रीकल्चरलिस्ट पार्टी जिसके ऊपर ब्रिटिश सरकार का आशीर्वाद था उसे कुल 228 सीटों में से सिर्फ 16 सीट मिली। बंगाल में फजलुल हक की प्रजा कृषक पार्टी को 38 सीट मिली। पंजाब में अधिकांश सीट यूनियनिस्ट पार्टी ने जीत ली और सिकंदर हयात खान के नेतृत्व में सरकार बनाई। बंगाल में फजलुल हक के नेतृत्व की प्रजा कृषक पार्टी ने मुस्लिम लीग और शासनपरस्त गुटों के साथ मिलकर सरकार बनाई।

1937 का संयुक्त प्रांत चुनाव पाकिस्तान की ओर

संयुक्त प्रांत में 1937 का चुनाव पूरे भारत से अलग रहा, इस प्रांत में ब्रिटिश सरकार द्वारा समर्थित नेशनल एग्रीकल्चरीस्ट पार्टी अपनी मजबूत स्थिति में थी। कांग्रेस यह महसूस कर रही थी इस प्रांत में अकेले अपने दम पर चुनाव जीतना मुश्किल है। अतः कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के नेताओं से बातचीत की। कांग्रेस नेता रफी अहमद किदवई ने मुस्लिम लीग की पार्टी के तीसरे बड़े नेता जो संयुक्त प्रांत के मुस्लिम लीग के मुखिया थे, खालिकउज्जमा से बात की और दोनों पार्टियों कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने संयुक्त प्रांत के चुनाव में अप्रत्यक्ष रूप से मित्रता पूर्ण चुनाव लडा। कई स्थानों पर कई सीटों पर जहां मुस्लिम लीग मजबूत स्थिति में थी, कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार ही नहीं उत्तारे व कई स्थानों पर कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया। इसी तरह से मुस्लिम लीग ने भी कई स्थानों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया। इस प्रांत का चुनाव परिणाम पूर्णतया कांग्रेस के पक्ष में रहा। कांग्रेस ने 228 सीटों में से 133 सीट जीतकर संपूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया। मुस्लिम लीग को मात्र 27 सीट प्राप्त हुई। संयुक्त प्रांत के कांग्रेस नेता जी बी पंत और मुस्लिम लीग के नेता खालिकउज्जमा के मध्य चुनाव खत्म होते ही चर्चा शुरू हुई। कांग्रेस और लीग दोनों के सोहार्दपूर्ण ढंग से चुनाव लड़ने के कारण इस चर्चा को प्रोत्साहन मिला। मुस्लिम लीग का पक्ष था कि हमने मिलकर चुनाव लड़ा है इसलिए संयुक्त प्रांत के मंत्रिमंडल में मुस्लिम सीटों के मंत्रालय के पद पर मुस्लिम लीग के दो सदस्यों को मंत्री बनाया जाए। मुंबई प्रांत के प्रधानमंत्री जी.बी खरे ने मध्यस्थता करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने प्रस्ताव रखा। नेहरू का मानना था अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में दोनों मंत्रालय की सीट को मुस्लिम लीग को दे देती है, तो इसका मतलब यह होगा कि कांग्रेस ने जिन्ना और मुस्लिम लीग की बात को स्वीकार कर लिया है। वो हमेशा कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस केवल मात्र हिंदू हितों की प्रतिनिधि संस्था है। नेहरु जी का मानना था की मुस्लिम आरक्षित 66 सीटों में से मुस्लिम लीग ने केवल 26 सीट जीती। जो 50% से भी बहुत कम है। मतदाताओं ने यह साबित कर दिया है कि मुस्लिम लीग उनकी एकमात्र पार्टी नहीं है। नेहरू ने मुस्लिम लीग के सदस्यों को मंत्रालय में शामिल करने की स्वीकृति एक शर्त के आधार पर दी कि मुस्लिम लीग के सभी चुने हुए सदस्य मुस्लिम लीग की सदस्यता छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करें। इस शर्त को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। नेहरू के रुख से मोहम्मद अली जिन्ना क्रोधित हुए। अब मुस्लिम लीग ने कांग्रेस विरोधी रुख अपनाते हुए अपने और मुसलमान के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में अपनी छवि को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास शुरू कर दिए। मोहम्मद अली जिन्ना ने "मुस्लिम लोगों को समझाया कि कांग्रेस आज हमें अपने साथ लेकर सरकार बनाने में असमर्थ है, जब भविष्य में देश आजाद हो जाएगा तो हमें कभी भी सरकार में भागीदारी नहीं मिलेगी। भारत में 7 करोड़ मुस्लिम लोगों को हमेशा हिंदुओं की दया पर जीवन व्यतीत करना पड़ेगा जो मुझे कभी बर्दाश्त नहीं होगा"। 1937 के चुनाव ने कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच एक बड़ी दरार पैदा कर दी जो भविष्य में भारत को विभाजन की ओर ले कर गई।

प्रांतीय चुनाव के परिणाम का मुस्लिम राजनीति पर प्रभाव

इस चुनाव में मुस्लिम लीग मुस्लिम वोटो का 4.8 प्रतिशत ही प्राप्त कर सकी। किसी भी मुस्लिम प्रांत में वह अपनी सरकार नहीं बना सकी। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी और बंगाल में कृषक समाज पार्टी से बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। पश्चिमी सीमांत प्रांत व सिंध जो मुस्लिम समाज का गढ़ था, एक भी सीट प्राप्त न कर पाई। दूसरी तरफ कांग्रेस की सफलता ने अखिल भारतीय स्तर पर उसकी

लोकप्रियता को बढ़ा दिया। नेहरू जी ने लीग की कमजोर स्थिति को देखते हुए मुस्लिम लीग से किसी भी तरह का गठबंधन स्वीकार नहीं किया। उनका मानना था आर्थिक आधार के विषय पर वह मुस्लिम जनता को कांग्रेस के पक्ष में कर लेंगे। 1937 में कांग्रेस की चुनाव सफलता से नेहरू ने मुस्लिम लीग और जिन्ना के समूचे हिंदुस्तानी मुसलमान के प्रतिनिधित्व के दावे पर मखोल उड़ाते हुए कहा था कि उसका (नेहरू) और उसकी कांग्रेस का सामान्य मुसलमान जनता के साथ जिन्ना और उसकी मुस्लिम लीग की तुलना में कहीं अधिक और गहरा संपर्क है। कांग्रेस में सामान्य मुसलमान जनता के बीच व्यापक जनसंपर्क अभियान आरंभ किया और दूसरी ओर विधानसभा में जीत कर आए मुसलमान विधायकों को सत्ता में भागीदारी के लिए कांग्रेस से जुड़ने का आह्वान करना प्रारंभ किया। नेहरू ने कहा कि भारत में दो ही ताकते हैं - (एक) कांग्रेस जो भारतीयों की स्वाधीनता प्राप्ति की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर रही थी और (दूसरी) अंग्रेज सरकार, जो उसे दबाने की कोशिश कर रहे थे। जिन्ना ने कहा (तीसरी) ताकत है मुस्लिम लीग। जिन्ना ने कांग्रेस के इस जनसंपर्क अभियान व कांग्रेस की सोच एवं नीतियों के खिलाफ मुस्लिम जनता में प्रचार करना शुरू कर दिया। जिन्ना ने कहा कि हिंदू कांग्रेस न केवल मुसलमान की धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को समाप्त करने में आमादा है बल्कि उसका उद्देश्य है गांधी के नेतृत्व में हिंदू राज्य की स्थापना करना"। "इस्लाम खतरे में है" का नारा दिया, जिन प्रांतो में कांग्रेस की सरकार थी, आरोप लगाया कि वह मुसलमानो पर बहुत अत्याचार कर रही है। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस सरकार को बदनाम किया। साथ ही मुसलमानो में जनसंपर्क अभियान भी शुरू किया।

पंजाब के मियां बशीर अहमद, यूनियनिस्ट पार्टी के नेता सर सिकंदर हयात खान, बंगाल के फजलुल हक, सिंध के गुलाम हुसैन जैसे गैर मुस्लिम लीग मुसलमान नेताओं का इस शर्त पर विश्वास प्राप्त कर लिया कि केंद्र में मुस्लिम लीग मुस्लिम लोगों की आवाज उठाएगी व प्रांतो में कोई हस्तक्षेप नहीं करोगी। इन सभी नेताओं ने केंद्रीय स्तर पर मोहम्मद अली जिन्ना को अपना नेता मान लिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग का सदस्यता शुल्क "दो आना" कर दिया। उसके जनसंपर्क अभियान एवं जोशीले भाषानों के परिणाम स्वरूप उदारवादी मुस्लिम नेता मुस्लिम लीग के संपर्क में आने लगे और बहुत से कांग्रेस के मुस्लिम नेता जिनको यह महसूस होने लगा था कि उनका भविष्य मुस्लिम लीग के साथ है, मुस्लिम लीग की सदस्यता ग्रहण कर ली। जहां 1937 में मुस्लिम लीग की सदस्य संख्या मात्र हजारों में थी वहीं 1940 में इसकी सदस्य संख्या 5 लाख से अधिक हो गई थी। अनेक अशिक्षित एवं अल्प शिक्षित मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग के मुसलमान मुस्लिम लीग में शामिल होते जा रहे थे। अब देश के मुसलमान के बीच जिन्ना की प्रतिष्ठा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही थी। जनवरी 1939 पटना में हुए मुस्लिम लीग के विराट अधिवेशन में जिन्ना का भूतपूर्व स्वागत हरे झंडे के सैलाब के बीच "कायदे-आजम जिंदाबाद" के जय घोष से हो रहा था। अब जिन्ना को यह महसूस हो गया कि वह एक मात्र मुस्लिम जनता के नेता है। मार्च 1940 के मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग के साथ "द्वि- राष्ट्र का सिद्धांत" दिया। जो 1947 में भारत की आजादी के साथ भारत के विभाजन से संपूर्ण हुआ। अतः माना गया कि 1937 के चुनाव में विशेषकर संयुक्त प्रांत के चुनाव में कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग को शामिल न करना भविष्य के लिए दोनों वर्गों में एक बड़ा मतभेद पैदा कर गया जो पाकिस्तान के निर्माण के साथ ही संपन्न हुआ।

संदर्भ-ग्रंथ सूची:

ISSN: 0030-5324
UGC CARE Group 1

(01) सत्यम राय - पार्टीशन ऑफ़ द पंजाब (मुंबई 1965)

(02) कृपाल सिंह - द पार्टीशन ऑफ़ पंजाब (पटियाला 1972)

(03) लेरी कॉलिंस लापियर - फ्रीडम तो मिडनाइट (1982 ऑक्सफोर्ड)

(04) फेडरल मून - डिवाइड एंड क्यूट (लंदन 1961)

(05) डेविड पेज - प्रीलयूड टु पार्टीशन: द इंडियन मुस्लिम एंड द इंपीरियल सिस्टम ऑफ़ कंट्रोल 1920-1932 (ऑक्सफोर्ड लंदन 1982)

(06) डॉ भीमराव अंबेडकर - पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ़ इंडिया (मुंबई 1940).

(07) अनीता इंदर सिंह - भारत का विभाजन (नई दिल्ली 2007)

(08) जसवंत सिंह - जिन्ना: भारतीय विभाजन के आईने में (दिल्ली 2009)

(09) मौलाना आजाद - इंडिया विंस फ्रीडम (मुंबई 1959)

(10) सत्य एम. राय - भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद (दिल्ली 1983)

(11) हिमांशु राय - भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद (दिल्ली 2013)

(12) प्रो. विपिन चंद्र - भारत का स्वतंत्रता संघर्ष (1990 दिल्ली)।